

पूर्वोत्तर रेलवे

श्री अमिताभ ओझा , वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक

के मार्गदर्शन

एवं

श्री रवि मिश्र, कार्य कुशलता अधिकारी

के निर्देशन में

सम्पादित

“ इंजी विभाग के अन्तर्गत लखनऊ मंडल के अधीन सी.से.इं./
कार्य/बढ़नी के अधीन कर्मचारी संख्या की समीक्षा” विषय पर
कार्याध्ययन।

द्वारा

जी० डी० उपाध्याय
कार्यकुशलता निरीक्षक

कार्य कुशलता संगठन
पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर

कार्याध्ययन सं० — एन०ई०/16/2020-21

मिसिल संख्या — प्र/560/1/2020-21/16

अधिशसकीय सार

1.	क्रम संख्या	—	16
2.	कार्याध्ययन संख्या	—	एन0ई0 / 16 / 2020—21
3.	मिसिल संख्या	—	प्र / 560 / 1 / 2020—21 / 16
4.	विषय	—	“ इंजी विभाग के अन्तर्गत लखनऊ मंडल के अधीन सी.से.इं./कार्य/ बढनी के अधीन कर्मचारी संख्या की समीक्षा” विषय पर कार्याध्ययन।
5.	विभाग	—	इंजीनियरिंग
6.	प्राधिकार	—	वउमप्र द्वारा अनुमोदित कार्याध्ययन सूची वर्ष 2020—21 के अनुसार।
7.	संदर्भित सीमायें:—	(1)	सी.से.इं./कार्य/बढनी के अधीन कार्यरत विभिन्न कोटि के कर्मचारियों के कार्याविधि एवं कार्यभार का मूल्यांकन।
		(2)	कार्यभार के परिप्रेक्ष्य में यार्डस्टिक/व्यवहारिक दृष्टिकाण के आधार पर आवश्यक कर्मचारी संख्या का आंकलन।
		(3)	कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या एवं आंकलित संख्या का तुलनात्मक विश्लेषण तथा सरप्लस कर्मचारियों को आंकलित करना।
		(4)	मल्टीस्कीलिंग एवं आउटसोर्स की सम्भावनाओं को परिलक्षित करना तथा उत्पादकता वृद्धि हेतु सुझाव देना।
8.	कर्मचारी की संख्या जिनका कार्याध्ययन किया गया	—	24
9.	संस्तुति सारांश	—	पृष्ठ संख्या— II
10.	अभ्यर्पण हेतु पदों की संख्या	—	07
11.	वित्तीय बचत	—	र 55.53 लाख प्रतिवर्ष
12.	वितरण तिथि	—	दिसम्बर/2020

अनुक्रमणिका

क्रम सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	आभार	I
2.	संस्तुतियाँ एवं सुझाव	II
3.	वित्तीय परिणाम	III
4.	अध्याय—प्रथम	1—2
	प्रस्तावना, एवं संदर्भित सीमायें ।	
5.	अध्याय— द्वितीय	3—5
	कर्मचारियों की स्वीकृत एवं वास्तविक संख्या तथा उनका कार्यभार ।	
6.	अध्याय— तृतीय	6—8
	आलोचनात्मक विश्लेषण एवं संस्तुतियाँ	

(I)

आभार

कार्याध्ययन दल श्रीमती मोनिका अग्निहोत्री, मंडल रेल प्रबन्धक/लखनऊ के मार्गदर्शन हेतु अत्यन्त आभारी है।

कार्याध्ययन दल श्री साहब सिंह, मंडल इंजीनियर/सामान्य/ लखनऊ, का भी आभारी है जिन्होंने आवश्यक निर्देशन प्रदान किया। कार्याध्ययन दल श्री जी. बी. सिंह, सहायक मंडल इंजीनियर/उत्तर/गोंडा के तकनीकी निर्देशन एवं कार्यों के संबंध में मार्ग दर्शन हेतु अत्यन्त आभारी है।

कार्याध्ययन दल श्री मुकेश कुमार, सी०से०ई०/कार्य/बढ़नी का भी आभारी है, जिन्होंने कार्याध्ययन के लिए वॉछित ऑकडे एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया।

(II)

संस्तुतियाँ

क्र०सं०	संस्तुति	मद सं०
1.	संस्तुति दी जाती है कि इंजीनियरिंग विभाग के लखनऊ मंडल के अधीन सीसेइं/कार्य/बढ़नी इकाई से ग्रुप "डी" कोटि के 07 पद जो आवश्यकता एवं कार्यभार से अधिक आंकलित किये गये हैं, उन्हें अभ्यर्पित किया जाय।	3.11
	सुझाव	
1	जोन वर्क द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्यों की प्रणाली को सुगम बनाते हुए दक्ष पर्यवेक्षण में संचालित किया जाये और विभागीय कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे कार्यभार को चरणबद्ध तरीके से जोन वर्क में लेकर कर्मचारी संख्या को न्यूनतम स्तर पर लाया जाय।	
2	छोटे रिपेयर एवं आकस्मिक रिपेयर को भी जोन वर्क की परिधि में लाया जाय एवं कार्य पाली में जोनल कान्ट्रेक्टर द्वारा इस हेतु आर्टीजन की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये साथ ही उपभोक्ता द्वारा शिकायत सीधे जोन कान्ट्रेक्टर के उपस्थित प्रतिनिधि को कार्य पाली में दर्ज कराते हुए विभागीय पर्यवेक्षक के निर्देशानुसार कार्य सम्पन्न कराया जाय।	
3	चौकीदार, वाल्वमैन को मल्टीस्कीलिंग की परिधि में लाते हुए इनके खाली समय का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय तथा एक दूसरों को एल.आर. एवं आर.जी. को समायोजित किया जाय, ताकि खाली समय का समुचित उपयोग किया जाय।	
4	हैण्ड पम्प रिपेयर की वर्तमान प्रणाली में हो रहे अपव्यय को दूर करने हेतु रिपेयर की प्रकृति के अनुसार रेट निर्धारित कर इसे जोन अनुरक्षण में लिया जाये।	

(III)

वित्तीय परिणाम

कार्याध्ययन में की गयी संस्तुतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप रेल प्रशासन को होने वाली अनुमानित वार्षिक बचत के आंकलन निम्नवत् है:—

पदनाम	पदों की संख्या	लेवल एवं ग्रेड—पे	औसत वेतन प्रतिपद प्रतिमाह	औसत मूल्य प्रति माह (रु० में) 7 पदों का	वार्षिक आवर्ती बचत(रु० में)
ग्रुप "डी"	07	L-1 1800	66119	462833	5553996
योग					5553996

अतः रेल राजस्व की कुल आवर्ती वार्षिक बचत रु० पचपन लाख तिरपन हजार नौ सौ छानवे मात्र।

//////

अध्याय— प्रथम

1.1 प्रस्तावना, एवं संदर्भित सीमायें :-

इंजीनियरिंग विभाग के कार्य—शाखा के अन्तर्गत मुख्यतः विभागीय आवासों सर्विस भवनों, रेल परिसर की सड़कों, मेनड्रेन, नालों, जलापूर्ति, लान अनुरक्षण एवं बागवानी, रेस्ट हाउस, हाली डे होम इत्यादि की निगरानी एवं अनुरक्षण कार्य किया जाता है। विभिन्न स्थानों पर पदस्थापित पर्यवेक्षकों के नियंत्रण में निम्नलिखित कार्य आते हैं।

(i) कैपिटल वर्क

(ii) जोन वर्क

(iii) विभागीय कर्मचारियों द्वारा निष्पादित अनुरक्षण संबंधी कार्य ।

1.1 कैपिटल वर्क :- किसी भी नये निर्माण कार्यों का वाह्य स्रोत के द्वारा कैपिटल वर्क के अधीन कराया जाता है। इसकी स्वीकृति बजट के अनुसार क्षेत्रीय मुख्यालय तथा रेलवे बोर्ड तक होती है।

1.2 जोन वर्क :- सेक्शन इंजीनियर (कार्य) इकाई को मितव्ययिता एवं कार्य के त्वरित निस्तारण हेतु विभिन्न जोन में बाँटा जाता है। इन जोनों में अनुरक्षण एवं पुनर्संरचनात्मक कार्य हेतु प्रति वर्ष राशि मण्डल के अधीन स्वीकृत की जाती है। इस राशि के अन्तर्गत विभागीय पर्यवेक्षण के नियन्त्रण में वर्क आर्डर बनाकर बाह्य श्रोत द्वारा कार्य कराया जाता है। प्रत्येक कार्य इकाई हेतु जोनल ठेकेदार नामित किये जाते हैं।

1.3 छोटे—मोटे आकस्मिक मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य विभागीय पर्यवेक्षण में विभागीय कर्मचारियों द्वारा कराये जाते हैं।

1.4 कार्य विभाग द्वारा अनुरक्षण कार्यों को जोन कार्य आदेशों के माध्यम से कराने के कारण इस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यभार में प्रत्याशित कमी आयी है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा आर्थिक सुधार हेतु भी आवश्यक कदम वांछनीय है। इसको दृष्टिगत रखते हुए वउमप्र महोदय द्वारा अनुमोदित कार्याध्ययन सूची वर्ष 2020—21 के अन्तर्गत वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक महोदय के निर्देशानुसार विषयगत कार्याध्ययन प्रारम्भ किया गया है।

1.5 विषयगत कार्याध्ययन हेतु निम्न संदर्भित सीमायें निर्धारित की गयी हैं :—

- (i) वर्तमान कार्यभार की समीक्षा करना।
- (ii) कार्यभार के परिप्रेक्ष्य में यार्डस्टिक/व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर आवश्यक कर्मचारी संख्या का आंकलन।
- (iii) आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को परिलक्षित करते हुए अभ्यर्पण हेतु संस्तुति देना।
- (iv) मल्टीस्कीलिंग की सम्भावनाओं को तलाशना एवं कार्य सरलीकरण हेतु सुझाव देना।

1.6 कार्याध्ययन विधि :—

कार्याध्ययन को सम्पन्न करने हेतु निम्नलिखित विधियों को अपनाया गया है :—

- (1) यूनिट के कार्यभार से सम्बन्धित विभिन्न ऑकड़ों को एकत्रित किया गया जो कि प्रत्येक कोटि के कर्मचारी के कार्यभार को परिलक्षित करता है।
- (2) यूनिट के अन्तर्गत स्वीकृत कर्मचारी संख्या के सापेक्ष में मौजूदा कार्यभार का विश्लेषण करना।
- (3) निजी प्रेक्षण एवं अवलोकन के साथ पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों से कार्य के परिस्थितियों पर वार्तालाप सम्पन्न किया गया तथा कर्मचारी संख्या की गणना हेतु स्थानीय परिस्थिति, मल्टी स्कीलिंग अवधारणा के आधार पर यार्डस्टिक का प्रयोग करना।

अध्याय— द्वितीय

2.0 कर्मचारी संख्या, कार्य क्षेत्र एवं कार्यभार :-

- 2.1 सीनियर सेक्शन इंजीनियर/कार्य/बढ़नी यूनिट का सम्पूर्ण नियंत्रण मंडल स्तर पर मंडल इंजीनियर/सामान्य इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सहायक मंडल इंजीनियर/उत्तर/गोंडा के अधीन कार्यरत है।
- 2.2 सीनियर सेक्शन इंजीनियर(कार्य), बढ़नी के अधीन कोटिवार कर्मचारी संख्या (स्वीकृत एवं वास्तविक) निम्नवत् है :-

क्रम सं०	कोटि	ग्रेड—पे	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या
1	कारपेन्टर— ।	2800	01	—
2	प्लम्बर	2800	01	—
3	मेसन— ।	2800	01	—
4	पेन्टर— ।।	2400	01	—
5	पेन्टर— ।।।	1900	—	01
6	फिटर— ।	2800	02	01
7	लेहार— ।	2800	01	—
8	लेहार— ।।	2400	01	—
9	खलासी/मल्टीपरपज	1800	12	07
10	चौकीदार	1800	02	—
11	सफाईवाला	1800	01	—
12	केयर टेकर	1800	01	—
	योग		24	09

2.3 सी.से.इं./कार्य/मध्य से संबंधित कार्यभार :-

- 2.3.1 **कार्यक्षेत्र :-** इस इकाई का कार्य क्षेत्र ex ADEN to Lehra (45/0 Km-135/2 Km) एवं लेहडा से गैसडी रेलवे स्टेशन (excluding) तक है।

आवसीय भवन	संख्या
टाईप — I	187
टाईप — II	44
टाईप — III	01
योग	232

2.3.2 आर्टीजन/हेल्पर खलासी से सम्बद्ध कार्यभार :-

S.N.	Particular	Work load Quantity	Multiplying factor to convert into EPA	Work load in EPA
1.	Plinth area of Residential Building (Sqm)	10411.90	0.7	7288.33
2.	Plinth area of service Building (Sqm)	10559.96	1.0	10559.96
3.	Plinth area of covered platform (Sqm)	1110.37	0.3	333.111
4.	Plinth area of open platform (Sqm)	38176.19	0.1	3817.619
5.	Major Bridges (in running meter)	1053.00	1.5	1886.911
6.	Minar Bridges (in running meter)	204.94		
Total				23885.23

2.3.3 मेसन, फिटर एवं कारपेन्टरी शिकायतों का विवरण :-

कार्य की प्रकृति	प्राप्त शिकायतों की संख्या (01.09.20 से 30.11.20 तक)	निपटाये गये शिकायतों की संख्या (01.09.20 से 30.11.20 तक)
मेसन कार्य	117	67
कारपेन्टरी कार्य	62	36
फिटिंग/प्लम्बिंग कार्य	137	123

2.3.4 चौकीदार से संबंधित कार्य :-

सीसेइं/कार्य/बढ़नी कार्यालय, स्टोर एवं ओ0आर0एच0/बढ़नी की चौकीदारी कार्य।

2.3.5 अतिरिक्त कार्यभार:—

- (i) पाइप लाइन नेटवर्क(10 सेमी एव ऊपर) — 4800.00 रनिंग मीटर
 - (ii) हैण्ड पम्प मेन्टिनेश कुल संख्या — 77
 - (iii) मेन ड्रेन की लम्बाई — 1750 मीटर
 - (iv) मेन रोड की लम्बाई — 11110 मीटर
 - (v) गार्डनिंग एरिया — 500 वर्ग मीटर
 - (vi) सरकुलटिंग एरिया — 6035.14 वर्ग मीटर
- इसके अतिरिक्त जंगल कटिंग, रुफ लिकेज, रैट होल फिलिंग विविध कार्य

2.3.6 सी0से0ई/कार्य/बढनी के क्षेत्र में जोनवर्क हेतु आवंटित धनराशि एवं वास्तविक व्यय की धनराशि निम्नवत् है :—

जोन सं.	2017—18		2018—19		2019—20	
	स्वी.राशि	वास्त. राशि	स्वी.राशि	वास्त. राशि	स्वी.राशि	वास्त. राशि
23	—	—	—	—	—	—
16	8039382.27	6156618.46	—	—	—	—
16	—	—	8171399.02	6155519.18	—	—
16	—	—	—	—	9296584.92	8539744.29

अध्याय — तृतीय

3.0 आलोचनात्मक विश्लेषण एवं संस्तुतियों :-

3.1 गणना हेतु प्रयुक्त विधि :-

कर्मचारी संख्या के आंकलन में जो विधि अपनायी गयी है, वह सभी कार्य पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए है। इस प्रयुक्त विधि का आधार यार्डस्टिक के साथ-साथ इकाई की कार्य पद्धति, अधिकांश अनुरक्षण कार्यों का जोन वर्क में हस्तान्तरण, कार्य पद्धति संवर्धन, व्यवहारिक दृष्टिकोण, रेल राजस्व की बचत एवं पिछले तीन माह में निष्पादित कार्यभार है। कर्मचारी संख्या के आंकलन की प्रयुक्त विधि निम्नवत् है :-

3.2 पर्यवेक्षक :- उसके अनुसार 40,000 ई0पी0ए0 पर एक इन्चार्ज होना चाहिए तथा इस संबंध में दिशा-निर्देश है कि प्रत्येक इन्चार्ज जैसे कि सी0से0 इंजीनियर/सेक्शन इंजीनियर/जे.ई. के अधीन एक सहायक पर्यवेक्षक होना चाहिए।

3.3 आर्टीजन/हेल्पर —

$$\text{आर्टीजनों की संख्या} = \frac{0.4 \times \text{कुल ई0पी0ए0 में कार्यभार}}{1550}$$

Note - 40% ie 0.4 x Total EPA is Supposed to be maintained by departmental Staff

3.4 पाइप लाइन नेटवर्क :- प्रत्येक 10 किमी0 पाइप लाइन जिसका व्यास 10 सेमी0 या उससे अधिक है, के लिए 03 कर्मचारी (01 आर्टीजन + 02 खलासी) दिया जाना चाहिए।

3.5 अन्य कार्यभार हेतु कर्मचारी संख्या का आंकलन, निष्पादित कार्यभार तथा वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए किया गया है।

3.6 जोन वर्क में दिये गये चार्ट से स्पष्ट है कि प्रत्येक वित्त वर्ष में आवंटित राशि उस वर्ष के वास्तविक व्यय से अधिक रही। अर्थात् जोन वर्क हेतु धन पर्याप्त कराया गया। कार्याध्ययन दल का मानना है कि जोन वर्क आवंटित न होने से मरम्मत कार्य प्रभावित होता है। अतः ऐसी स्थिति उत्पन्न होने को रोकने का संभव प्रयास किया जाना चाहिये।

3.7 कुछ वर्षों पूर्व तक रेलवे से संबंधित आवासीय एवं सरकारी भवनों के समस्त अनुरक्षण कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा किये जाते थे। जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से काफी खर्चीला होगा। बहुत से बड़े-बड़े व्यवसायिक संस्थाओं के अपने भवनों का मरम्मत पूर्ण रूप आउटसोर्स के माध्यम से किया जाता है। अतः भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत, सुरक्षा चिकित्सा इत्यादि सेवाएँ एक प्रकार से भारतीय रेल की एलायड एक्टिविटीज है। इसके साथ-साथ रेलवे का यह विंग नान सेफ्टी कैटगरी में आता है।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि इस यूनिट पर प्रति-वर्ष जोन कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि विभागीय कर्मचारियों आर्टिजन एवं ग्रुप “डी” पर वर्तमान स्वीकृत संख्या के सापेक्ष खर्च से कम है, जो कि एक बड़ी राशि है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जोन वर्क में कार्यों की प्रणाली को सुगम एवं दक्ष बनाया जाये जिससे विभागीय कर्मचारियों की संख्या को न्यूनतम स्तर तक लाकर रेल राजस्व की बचत की जा सके।

- 3.8 कार्याध्ययन दल यह सुझाव देता है कि :- जोन वर्क द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्यों की प्रणाली को सुगम एवं दक्ष पर्यवेक्षण में संचालित किया जाये और विभागीय कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे कार्यभार को चरणों में जोन वर्क में लेकर कर्मचारी संख्या का न्यूनतम स्तर पर लाया जाये।

- 3.9 सी.से.इं./कार्य/बढ़नी हेतु आवश्यक कर्मचारी संख्या का आंकलन :-

- 3.9.1 आर्टिजन/हैल्पर की आवश्यकता :- (एसेट वर्क लोड)

$$\begin{aligned} &= \frac{0.4 \times \text{कुल ई0पी0ए0}}{1550} \\ &= \frac{0.4 \times 23885.93}{1550} \\ &= \frac{9554.372}{1550} = 06.16 = \text{Say } 06 \end{aligned}$$

इस प्रकार आर्टिजन ग्रुप “सी” की संख्या = 06

सहयोग हेतु हैल्पर/खलासी की संख्या = 06

- 3.9.2 चौकीदार :-

(1) सी0से0इं0/कार्य/बढ़नी कार्यालय/स्टोर हेतु :-	
एक कर्मचारी प्रतिपाली के हिसाब से दो पाली हेतु =	02 कर्मचारी
अ0दा0/वि0दा0	= 01 कर्मचारी
योग	= 03 कर्मचारी

- 3.9.3 पाइप लाइन नेटवर्क हेतु आवश्यक कर्मचारी :-

$$\frac{4800 \times 3}{10000} = 1.44 = \text{Say } 01 \text{ कर्मचारी}$$

3.9.5 विविध कार्य हेतु सीसेइं/कार्य के साथ संबंध कर्मचारी संख्या की आवश्यकता

:-

सीसेइं/कार्य के अधीन बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको बहुत कम समय में प्राथमिकता के आधार पर तत्काल रूप से सम्पादित करना होता है एवं जिसका लेखांकन नहीं हो पाता है। ऐसे कार्यों हेतु समेकित रूप से मल्टीस्कीलिंग के अन्तर्गत चौकीदार के साथ ग्रुप "डी" का 01 कर्मचारी की संख्या प्रस्तावित की जाती है।

3.9.6. सफाई कार्य:- सीसेइं/कार्य कार्यालय एवं स्टोर एवं परिसर की सफाई विविध कार्य हेतु आवंटित कर्मचारियों द्वारा सम्पादित होना उचित होगा।

3.9.7 सी.से.इं./कार्य/बढ़नी हेतु आवश्यक कर्मचारी संख्या का आंकलन :-

क्र.सं.	विवरण	आर्टीजन ग्रुप "सी"	ग्रुप "डी"	योग
1	एसेट वर्क लोड	06	06	12
2	चौकीदार	—	03	03
3	पाईप लाईन कार्य	—	01	01
4	अलेखांकित कार्य जैसे रोड रिपेयर/पैचवर्क एवं विविध कार्यों हेतु।	—	01	01
	योग	06	11	17

3.10 सीसेइं/कार्य/बढ़नी के अधीन कर्मचारियों का स्वीकृत एवं प्रस्तावित संख्या का तुलनात्मक विवरण :-'

क्र.सं.	इकाई	स्वी.सं.	प्रस्ता. सं०
1	बढ़नी	24	17
	योग	24	17

अभ्यर्पण हेतु प्रस्तावित पद = 24 - 17 = 07

3.11 संस्तुतियों:-

संस्तुति दी जाती है कि लखनऊ मंडल के इंजीनियरिंग विभाग के सी.से.इं/कार्य/बढ़नी के अधीन ग्रुप "डी" कोटि के 07 पद जो आवश्यकता एवं कार्यभार से अधिक आंकलित किये गये हैं, उन्हें अभ्यर्पित किया जाय।

.....